

मांग संख्या 01  
मुख्य शीर्ष 2012

मद क्रमांक 1

भारत सरकार गृह मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 24.5.2018 द्वारा जारी राज्यापाल (भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधित नियम, 2018 के अनुसार अनुसूची एक, दो एवं तीन में राशि वृद्धि होने के फलस्वरूप अन्तर की राशि ₹ 17.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 17,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।